

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग  
पौड़ी (गढ़वाल)

- विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला – पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No.FP/UK/ROAD/143491/2021)
- संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यालय पत्र सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१०९/२०२१/एफ०सी०/२२७ दिनांक १७.०५.२०२२ एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का कार्यालय पत्रांक २८३६ /FP/UK/ROAD/143491/2021 दिनांक २६ मई २०२२.

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति संदर्भित पत्र के द्वारा प्राप्त है, जिसमें अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :-

क	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3.	<b>प्रतिपूरक वनीकरण:-</b> (क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ९०० पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशी वर्तमान दरों से जमा की जायेगी। जहां तक सम्भव हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों के एकल प्लांटेशन से बचें व प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख)राज्य सरकार पौधरोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं कोर्डिनेटस अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के कार्यालय पत्रांक २९९/१२-१ दिनांक २९-०६-२०२२ के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० ३,६७,१९३.०० की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के नाम जमा की गई है।(चालान छाया प्रति संलग्न), शेष अनुपालना आपके कार्यालय के द्वारा पूर्ण की जानी है। आरक्षित वन दीवा। क०सं०-५बी में चयनित वृक्षारोपण स्थल के लिये गये कार्डिनेट्स के अनुसार डिजिटल मानचित्र और टोपोसीट ५-५ प्रतियों में संलग्न हैं एवं वृक्षारोपण स्थल की क०एम०एल० फाईल आपके कार्यालय की मेल आई०डी० में उपलब्ध कराई जा रही है। पौधरोपण योजना आपके कार्यालय के द्वारा प्रेषित की जानी है।

कमशः पृष्ठ सं-२

क	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
3	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0 पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	अनुपालना आपके कार्यालय के द्वारा पूर्ण की जानी है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	विन्दु सं0-3(क) की अनुपालना के अनुसार पूर्व ही धनराशि रू0 3,67,193.00 उत्तरांचल कैम्पा के नाम जमा की गई है।(चालान छाया प्रति संलग्न)
5	<p><b>शुद्ध वर्तमान मूल्य:-</b></p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP ( C) संख्या 202/1995 में आई0 ए0 नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 दिनांक (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.450 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 1459/3-5-2, दिनांक 01.07.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 की निर्धारित दरों पर एन0पी0वी0 रू05,81,783.00 की धनराशि कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है (चालान छाया प्रति संलग्न)।</p> <p>प्रमाण- पत्र पूर्व ही प्रस्ताव में संलग्न हैं।</p>
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 73 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायगें।	रोड साइड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव की धनराशी रू0 3,67,192.00 एवं एन0पी0वी0 धनराशी रू0 5,81,783.00 कुल रू0 9,48,975.00 पूर्व ही कैम्पा कोष में जमा किये जा चुके हैं।3(क) की अनुपालना के अनुसार (चालान छाया प्रति संलग्न )




क	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
8	गार्डडलाईन्स में दिए गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
9.	राज्य सरकार District profile की सही जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।	शर्त मान्य है।
10	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायगा।	शर्त मान्य है, प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
12	संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मनदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायगा।	शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव में संलग्न हैं।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11-42/2017-एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार के मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त मान्य है।

कमशः पृष्ठ सं-4

क	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
25	अनुपालना ई-पोर्टल पर ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त मान्य है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

  
24.2.23

अधिशायी अभियंता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
लैन्सडौन गढ़वाल।


पत्रांक 577/21C दि०- 24-2-23  
प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता 12 वॉ वृत्त, लो०नि०वि० पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सहा०अभियन्ता/अपर सहा०अभियन्ता, प्रा०ख०लो०नि०वि०, लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
24.2.23

अधिशायी अभियंता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०  
लैन्सडौन गढ़वाल।

etc 3/4

जियोरफेरिक्स मैप:-जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-1.27 है०) आरक्षित बन होना उम्मीद है।



Co-ordinates of Plantation Site	
Id	Latitude
1	29° 45' 43" N
2	29° 45' 39.81" N
3	29° 45' 43.41" N
4	29° 45' 46.2" N

सहायक अभियन्ता  
प्रा० ख० लो० नि० पि०  
लैन्सडौन

अभियन्ता  
प्रा० खण्ड, लो० नि० पि०  
लैन्सडौन गढ़वाल

**Legend**

- GPS Location
- CA Land

1:2,500  
km  
0.13




डिजिटल मैप:-जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीझाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-1.27 है०) आरक्षित कर कीता गेहूँ चयनित क्षेत्र।



SOI Toposheet 530/01

79°0'0"E

79°2'30"E



**Legend**

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

अधिकारी  
अभिषेक  
अभिषेक

ANG

सहायक अभियन्ता  
प्रा० ख० लो० नि० वि०  
लैन्सडौन

अधिसासी अभियन्ता  
प्रा० सा० लो० नि० वि०  
लैन्सडौन गढ़वाल

0 0.25 0.5 1 2 Km  
Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun



परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला - पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(Online Proposal no.FP/UK/Road/143491/2021)

प्रमाण-पत्र

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1978 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव के व्यय की धनराशि जमा कराये जानें का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 900 पौधों का रोपण कार्य किये जानें हेतु एवं दस वर्षों तक रखरखाव में होने वाले व्यय की आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0-900 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित ) वन विभाग के पक्ष में इस विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अ०सहा०अभियन्ता  
प्रा०ख०,लो०नि०वि०,  
लैन्सडौन (गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि०  
लैन्सडौन (गढ़वाल)

  
14.11.22

अधिसासी अभियन्ता  
प्रा०ख०लो०नि०वि०  
लैन्सडौन (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला - पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(Online Proposal no. FP/UK/Road/143491/2021)

प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन के व्यय के भुगतान का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत से वन विभाग के पक्ष में जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाना है। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशी इस विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में यथासमय जमा की जायेगी।



अ०सहा०अभियन्ता  
प्रा०ख०,लो०नि०वि०,  
लैन्सडौन (गढ़वाल)



सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि०  
लैन्सडौन (गढ़वाल)

  
14.11.22


अधिशायी अभियन्ता  
प्रा०ख०लो०नि०वि०  
लैन्सडौन (गढ़वाल)





परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडाडा के अन्तर्गत खण्डोलियाखेत से कौला - पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.450 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(Online Proposal no. FP/UK/Road/143491/2021)

एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद, देय हो, यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

  
अ०सहा०अभियन्ता  
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,  
लैन्सडौन (गढ़वाल)

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा०ख० लो०नि०वि०  
लैन्सडौन (गढ़वाल)

  
14.11.22  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रा०ख०लो०नि०वि०  
लैन्सडौन (गढ़वाल)

कि. सं. 3, 5 फ. व 7

**AGENCY COPY**

**Challan for collection of CAMPA fund**

Date : 18-08-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD LANSDOWNNE
PIF/Application No.	61143491447
MoE/ISG File No.	88MUCP/06/199/2021/FC
Address.	EE P.D PWD Lansdownne Pauri Garhwal
Remitter Contact No.	9469761
Email-Id.	epw@lansdownne@rediffmail.com
Mobile No.	9456693031
Landline No.	1356-262260
Amount (in Rs)	9469761
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words: Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Bank Official (Signature)

Branch Stamp

अभिषेक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड, लोनिवि०  
नैन्सडीन गढ़वाल

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against RST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

**CAMPA-MOEF COPY**

**Challan for collection of CAMPA fund**

Date : 18-08-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD LANSDOWNNE
PIF/Application No.	61143491447
MoE/ISG File No.	88MUCP/06/199/2021/FC
Address.	EE P.D PWD Lansdownne Pauri Garhwal
Remitter Contact No.	9469761
Email-Id.	epw@lansdownne@rediffmail.com
Mobile No.	9456693031
Landline No.	1356-262260
Amount (in Rs)	9469761
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words: Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Bank Official (Signature)

Branch Stamp

अभिषेक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड, लोनिवि०  
नैन्सडीन गढ़वाल

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against RST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

**BANK COPY**

**Challan for collection of CAMPA fund**

Date : 18-08-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD LANSDOWNNE
PIF/Application No.	61143491447
MoE/ISG File No.	88MUCP/06/199/2021/FC
Address.	EE P.D PWD Lansdownne Pauri Garhwal
Remitter Contact No.	9469761
Email-Id.	epw@lansdownne@rediffmail.com
Mobile No.	9456693031
Landline No.	1356-262260
Amount (in Rs)	9469761
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words: Nine Lakh Forty-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Six Rupees Only

Bank Official (Signature)

Branch Stamp

अभिषेक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड, लोनिवि०  
नैन्सडीन गढ़वाल

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against RST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: [helpdeskampa@compbank.co.in](mailto:helpdeskampa@compbank.co.in)

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: [epuree@unionbankofindia.com](mailto:epuree@unionbankofindia.com)



डाय प्रिंटर सरापापुरे

18/08/2022  
अभिषेक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड, लोनिवि०  
नैन्सडीन गढ़वाल

Print Back





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन (गढ़वाल)।



E Mail ID:- eepwldlansdowne@gmail.com. & eepwldlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260  
दि० ०२-११-२२

पत्रांक ३५५४/२१८  
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग  
पौड़ी (गढ़वाल)

विषय :-

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत एन०एच० १२१ के ढंकरीखाल तोक से कसाना बिचला होते हुये चौकीखाल तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु १.०८० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/12309/2015)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक ४बी/यू०सी०पी०/०६/२२४/२०१५/एफ०सी०/२२१७ दिनांक २१.०१.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रदत्त की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है।

बिन्दु	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले २.१६० हे० ग्राम-कसाना वल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रति पूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात ही इस कार्यालय के द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रोपण के समय कम से कम ५० प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	जिलाधिकारी गढ़वाल के आदेश संख्या :-४५०/०८-एल०ए०सी०-मू०ह०आ०/२०२२ पौड़ी दिनांक मई २८, २०२२. के अनुसार ग्राम-कसाना वल्ला, पट्टी-इड़ियाकोट, तहसील-धुमाकोट की नॉन०जेड०ए० खतौनी खाता संख्या-१६ खसरा संख्या-०९ क्षेत्रफल १.००६ हे० मध्ये रकबा ०.८०० एवं खतौनी खसरा संख्या-२२ रकबा १.९८३ हे० मध्ये रकबा १.३६० हे० कुल २.१६० हे० भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया गया है। (संलग्न प्रमाणित छाया प्रति -५)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०)की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०)की निर्धारित धनराशि रू० ७,०९,५६० कैम्पा कोष में चालान के माध्यम द्वारा कारपोरेशन बैंक शाखा देहरादून में जमा की गई है। (संलग्न चालान छाया प्रति -५)

3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र 5 प्रतियों में संलग्न है
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost NPV etc.)को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित आनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)की निर्धारित धनराशि रू0 7,09,560-00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक के रख-रखाव के व्यय की धनराशी रू0 6,01,916-00 कुल धनराशी रू0 13,11,476-00 कैम्पा कोष में चालान के माध्यम द्वारा कारपोरेशन बैंक शाखा देहरादून में जमा की गई है। (संलग्न बिन्दू संख्या -2 के अनुसार)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Centrel Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	इस आशय का प्रमाण-पत्र 5-प्रतियों में हस्ताक्षर कर संलग्न प्रेषित है।

अतः मोटर मार्ग के निर्माणार्थ 1.080 हे0 वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार सादर प्रेषित है।

भवदीय

अधिशायी अभियंता  
प्रा0ख0,लो0नि0वि0  
लैन्सडौन गढ़वाल।

दि0

पत्रांक /  
प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियंता  
प्रा0ख0,लो0नि0वि0  
लैन्सडौन गढ़वाल।